टी०ए० मिस केस सं० 334/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
5-03-19	अभिलेख उपस्थापित।आवेदक नवीन सावैयाँ , पिता–स्व0 जनार्दन सावैयाँ , ग्राम– सिहंपोखरिया, थाना– मुफस्सिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– सिंहपोखरिया ,थाना नं०– 587 ,खाता नं०–87 ,प्लॉट नं०–184 ,रकवा– 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता मनीषा हेम्ब्रम, पिता–कृष्णा चन्द्र हेम्ब्रम, ग्राम–मटकोबेडा, थाना– मुफस्सिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वंय के नाम से नामंतरण मुकदमा संख्या 333/2015–16 द्वारा नामांतरित है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–239 दिनांक– 25.3.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निमार्ण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता मनीष हेम्ब्रम, पिता–कृष्णा चन्द्र हेम्ब्रम, ग्राम–मटकोबेडा थाना–मुफस्सिल चाईबासा के पास 2,00,000.00/–(दो लाख)रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफस्सिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता नवीन सावैयाँ , पिता–स्व0 जनार्दन सावैयाँ , ग्राम– सिहंपोखरिया ,थाना– मुफस्सिल, क्रेता मनीषा हेम्ब्रम, पिता–कृष्णा चन्द्र हेम्ब्रम, ग्राम–मटकोबेडा थाना–मुफ़स्सिल चाईबासा के पास जमीन का 2,00,000.00/–(दो लाख)रूपये मे मौजा– सिंहपोखरिया ,थाना नं०– 587 ,खाता नं०–87 ,प्लॉट नं०–184 ,रकवा– 0.07½ एकड जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित। ह० 5/3 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। ह० 5/3/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner